राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008
ई–मेल / E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

एक कदम स्वच्छता की ओर

File No: **NACIN/Sys/E-O/OTH/2/2021-EXAM-O/o Pr DG-NACIN-FARIDABAD** दिनांक: 27 .10.2021

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग में समूह 'ग' (हवलदार / एमटीएस) के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

और

वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग के लिए समूह 'ग' (ग्रेड वेतन 1800/- /एमटीएस में समूह 'ग' कर्मचारी) के अधिकारियों की पदोन्नति

परीक्षा सूचना

1. वर्ष 2021-22 के लिए निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग हेतु उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा **3 दिसंबर, 2021** को आयोजित की जाएगी।

2. निम्नानुसार परीक्षा में तीन (03) पेपर होंगे-:

पेपर	विषय	अधिकत्तम अंक	उत्तीर्ण अंक	समय	समयावधि (घंटे में)
पेपर- I	सामान्य अंग्रेजी	100	50	पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:00 बजे तक	01
पेपर- II	संख्यात्मक योग्यता और सामान्य ज्ञान	100 (50+50)	50 (25+25)	पूर्वाह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	01
पेपर- III	हिंदी	100	50	अपराह्न 02:00 बजे से 03:00 बजे तक	01

3. प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। अभ्यर्थियों के पास अंग्रेजी या हिंदी (हिंदी के पेपर को छोड़कर) में उत्तर लिखने का विकल्प है। सभी केन्द्रों पर परीक्षा पूर्वाहन 10:00 बजे प्रारम्भ हो जाएगी। संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) अंत में निर्धारित टाइपिंग परीक्षा आयोजित करेंगे। टाइपिंग परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सीसीए के पास रखा जाएगा, जो उनका मूल्यांकन भी करवाएंगे और परिणाम तैयार करेंगे। टाइपिंग परीक्षा की उत्तर पुस्तिका नासिन को नहीं भेजी जाएगी। परिणाम की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु नासिन को भेजी जा सकती है।

4. प्रश्न पत्रों (निम्न प्रारूप में) के लिए मांग ई-मेल आईडी:- nacin.exam@icegate.gov.in भेजी जा सकती है:-

क्र.सं.	क्षेत्र संरचना का नाम	योग्य अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पदनाम	सीसीए का विवरण (ई-मेल आईडी सहित कार्यालय का पूरा पता)	प्राधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी) जिनको प्रश्न पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है, का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पूरा पता	प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नं.	प्राधिकृत अधिकारी का ई-मेल आईडी
1.							
2.							
3.							

5. सभी सीसीए को उपर्युक्त प्रारूप में अपने अधिकार क्षेत्र से डेटा एकत्र करने और प्रश्न पत्रों की मांग सहित **केवल ईमेल के माध्यम से** भेजने की आवश्यकता है।
यह **23 नवंबर, 2021 तक** उप निदेशक (परीक्षा), नासिन फरीदाबाद तक पहुंच जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इसके पश्चात प्राप्त किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में, नामित अधिकृत अधिकारी को **सिर्फ दिनांक 01.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से** भेजा जाएगा। मेल की पावती और जवाब उसी तारीख को नासिन, फ़रीदाबाद को भेजना होगा। **पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड दिनांक 02.12.2021 को उपलब्ध कराया जाएगा।** अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।

7. यह परीक्षा नोटिस सीबीआईसी और नासिन वेबसाइट www.cbic.gov.in एवं www.nacin.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।

8. अभ्यर्थियों की पात्रता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। पात्रता के प्रश्न पर किसी भी संदर्भ में नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

9. **परीक्षा में प्राप्तांक केवल ई-मेल के माध्यम से संबंधित सीसीए को सूचित किए जाएंगे।** इसलिए, कृपया उपर्युक्त तालिका में सीसीए का सही विवरण दर्ज करें।

10. नासिन, फरीदाबाद के पास किसी अभ्यर्थी की परीक्षा या किसी केंद्र या सभी केंद्रों की सम्पूर्ण परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह पाया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था या उपयोग करने की अनुमति दी गई थी या परीक्षा में किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय किया गया है।

11. 'परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश' इस पत्र के साथ संलग्न हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग हैं।

12. यह प्रधान अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी।

सुरभि 27/10/2021
(डॉ. सुरभि पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी
2. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
3. मुख्य केमिस्ट, सीआरसीएल, नई दिल्ली।
4. प्रणाली अनुभाग, नासिन, फ़रीदाबाद-सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाइट पर अपलोडिंग करने हेतु।

सुरभि 27/10/2021
(डॉ. सुरभि पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

परीक्षा हेतु निर्देश

1. संबंधित सीसीए, जहां परीक्षा आयोजित होने वाली है, एक अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा और वह स्वतंत्र होकर निष्पक्ष तरीके से और इसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक पर्यवेक्षक / निरीक्षक को नामित करने की आवश्यकता है और प्रश्न पत्रों की प्रतिलिपियों की आवश्यक संख्या उनके/उनकी व्यक्तिगत देखरेख में गुप्त रूप से की जाएगी।

2. परीक्षा कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी की कड़ी गोपनीयता के साथ पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक / निरीक्षक को अभ्यर्थियों को क्रमांक आवंटित करने, परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करने, उत्तर पुस्तिकाओं जैसी मानक स्टेशनरी की आपूर्ति करने और प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी करने की आवश्यकता होती है। परीक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षी अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को भी अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में किसी अभ्यर्थी या उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण केन्द्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है।

3. उत्तर पुस्तिकाओं में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टैम्प लगाकर:-

   1) परीक्षा का नाम
   2) क्रमांक
   3) केंद्र का नाम
   4) परीक्षा की तिथि व समय
   5) पेपर व विषय का नाम
   6) उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/निरीक्षक उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)।
   7) पर्यवेक्षक / निरीक्षक के हस्ताक्षर (सत्यापन पर कि सभी विवरण उम्मीदवारों द्वारा सही ढंग से भरे गए हैं)
   8) प्राप्तांक एवं
   9) पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर

4. अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका के सामने के हिस्से पर या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टैंप लगाकर उनके नाम /पहचान का खुलासा करने का कोई भी प्रयास

और किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान किसी के साथ बात करने जैसे अनुचित कोई भी साधनों का उपयोग या अभ्यर्थियों के किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा धोखाधड़ी माना जा सकता है एवं उनकी परीक्षा को अमान्य माना जाएगा।

5. किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है या कोई चिन्ह हस्ताक्षर आदि का उपयोग करता है जो किसी भी तरह से / प्रतीक / उम्मीदवारों की पहचानको संकेतित करता हो।

6. निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करने में गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुचित साधन का उपयोग नहीं किया जाए, जो किसी को भी कोई अतिरिक्त लाभ दे सकता हो और इस प्रकार दूसरों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सम्पूर्ण कार्य को डिजाइन और संचालित किया जाएगा ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। यदि किसी अनुचित साधन का उपयोग उसके संज्ञान में लाया जाता है, तो नासिन के पास सम्पूर्ण परीक्षा या किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार या केंद्र या केंद्रों के समूह की पूरी परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, । यदि आवश्यकता हो तो पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी किया जा सकता है।

7. अभ्यर्थियों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी स्पष्टीकरण पर नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया / संचालन के संबंध में किसी भी तरह का पत्राचार के.एम.मीना अपर सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008 या ईमेल आईडी: nacin.exam@icegate.gov.in पर किया जा सकता है।

8. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास मोबाइल फोन और ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना और ले जाना सख्त वर्जित है।

9. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रथम तीस मिनट के दौरान हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि पेपर पूरा होने/जमा करने पर भी और परीक्षा अवधि के दौरान पहले 30 मिनट पूरा होने के पश्चात एक समय में केवल एक ही अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

10. प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। अभ्यर्थियों के पास हिंदी या अंग्रेजी (हिंदी के पेपर को छोड़कर) में उत्तर लिखने का विकल्प है।

11. परीक्षा के तुरंत बाद आबंटित क्रमांक के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित उत्तर पुस्तिकाएं और उपस्थिति पत्रक सीलबंद लिफाफे में भेजे जाएंगे।

12. नासिन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों को केवल सीसीए तक पहुंचाएगा। परिणाम [(समय-समय पर मंत्रालय/बोर्ड द्वारा) भर्ती नियमों और लागू निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान करना, जैसा लागू हो] इस कार्यालय को सूचना सहित सीसीए द्वारा या सीसीए द्वारा किसी भी विधिवत अधिकृत अन्य कार्यालय द्वारा घोषणा किया जाएगा।

13. यह प्रधान अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी।

सुरभि 27/10/2021

(डॉ. सुरभि पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. सीमा शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
2. सीमा शुल्क (निवारक) के सभी मुख्य आयुक्त।
3. केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
4. सीमा शुल्क, केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
5. सीबीआईसी के अंतर्गत सभी महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेशक।
6. सीमा शुल्क के सभी आयुक्त ।
7. लेखा परीक्षा सहित केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी आयुक्त।
8. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर।
9. अपर महानिदेशक, नासिन के अधीनस्थ सभी आंचलिक/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान।
10. मुख्य केमिस्ट, सीआरसीएल, नई दिल्ली।
11. प्रणाली अनुभाग, नासिन, फ़रीदाबाद-सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाइट पर अपलोडिंग करने हेतु।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008

एक कदम स्वच्छता की ओर

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008
ई–मेल / E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

File No: NACIN/Sys/E-O/OTH/2/2021-EXAM-O/o Pr DG-NACIN-FARIDABAD

Date:27.10.2021

Departmental examination for promotion of officers of Group "C" (Hawaldar/ MTS)
To the cadre of LDC in Customs & Central Tax Department
And
Promotion of officers of Group "C" (Group C staff in the grade pay Rs 1800/-/MTS)
To the cadre of LDC in Central Bureau of Narcotics, **for the year 2021-22**

EXAMINATION NOTICE

1. The Departmental examination for promotion of officers as detailed above to the cadre of LDC for the year 2021-22 will be conducted on 3th **December 2021**.

2. The examination will have 03 papers as below:-

Paper	**Subject**	**Maximum marks**	**Pass marks**	**Time**	**Duration (Hrs)**
Paper-I	General English	100	50	10:00 am- 11:00 am	01
Paper-II	Numerical Aptitude & General Knowledge	100 (50+50)	50 (25+25)	12:00 noon- 01 pm	01
Paper-III	Hindi	100	50	02:00 pm- 03:00 pm	01

3. The question paper shall be both in English and Hindi (except paper on Hindi). The candidates have the option to write the answer either in English or Hindi. The exam at all the centers will start at 10:00 A.M. The Cadre Controlling Authority (CCA) concerned shall get the typing test conducted at their end. The typing test Answer Sheets will be kept with the CCA, who will also get them evaluated and get the result prepared. The Answer Sheets of typing test will not be sent to NACIN. A copy of the result may however, be sent to NACIN for records.

4. Requisition for the question papers (in the format as under) may be sent through email to NACIN on the email id nacin.exam@icegate.gov.in .

Sl no.	Name of the field formation	Name of eligible Candidate	Designation of candidate	Details of CCA (complete official address, email address)	Name, Designation, Official address of Authorized officer (ADC/JC/DC/AC) to Whom question papers are to be sent by email.	Mobile Number of Authorized officer	Email ID of authorized officer
1.							
2.							
3.							

5. All CCAs are required to collect the data from their jurisdiction in the above format and send the same **through email only**, alongwith the requisition for question papers.

This must reach the Deputy Director (Exam), NACIN Faridabad, **latest by 23rd November 2021.** It may please be noted that the requisitions received thereafter shall not be entertained.

6. Question paper for the said exam, in the password protected PDF format, shall be sent to the nominated authorized officer **on 01.12.2021 through e-mail** only. The mail needs to be acknowledged and reply sent to NACIN on the same date. **Password for opening the PDF file will be provided on 02.12.2021**. The authorized officer shall ensure that the examination is conducted in a fair and transparent manner.

7. This examination notice is also being posted on CBIC and NACIN websites www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in .

8. Eligibility of the candidates shall be decided by the concerned Cadre Controlling Authority. Any reference on the questions of eligibility shall not be entertained by NACIN.

9. **The marks obtained in the examination shall be communicated to the concerned CCAs, through email only.** Hence, the correct details of CCA may please be entered in the table above.

10. NACIN Faridabad reserves the right to cancel the whole examination or the examination of a candidate or that of a centre or of a cluster of centers, if it is found that unfair means were used or allowed to be used or any partiality or injustice is done to anybody in the examination. The Authorized officer or the Invigilator of the examination

centers also has the right to cancel the examination of a candidate or for the whole of center under his jurisdiction, in case of use of unfair means.

11. "Instructions for Examination" are enclosed with this letter and are an integral part of it.

12. This issues with the approval of Principal Additional Director General (Exam).

Sd/- 27/10/2021

(Dr.Surabhi Pandey)
Joint Director (Exam)

Copy to:

1. The Cadre Controlling Authorities- All
2. Narcotics Commissioner of India, Gwalior
3. The Chief Chemist CRCL, New Delhi
4. The Systems Section, NACIN, Faridabad – for getting it uploaded on CBIC and NACIN websites

Sd/- 27/10/2021

(Dr.Surabhi Pandey)
Joint Director (Exam)

Instruction for Examination

1. The concerned CCA where the examination is scheduled to be held shall nominate an officer, who will be authorized to function as the overall in-charge for conduct of said examination and he /she shall be responsible to conduct the examination in a free and fair manner and maintain secrecy thereof. The Authorized Officer is further required to nominate a Supervisor/Invigilator to conduct the exam smoothly and the required no(s) of Xerox copies of question papers shall be done secretly under his/her personal supervision.

2. The examination work requires the Supervisor/Invigilator to allot Roll Numbers to the candidates, to make the seating arrangement for the candidates, supply of standard stationery like answer sheets and the question papers as many as required. The Supervisory officers/ Invigilator of the examination centers also have the right to cancel the examination of a candidate or the whole of center under their jurisdiction, in case of use of unfair means.

3. The answer sheets shall contain the following particulars, either in printed form or by affixing rubber stamp:-

1) Name of the Examination
2) Roll No.
3) Name of Center
4) Date & Time of Examination
5) Name of the Paper & Subject
6) No. of loose answer sheets used (The Supervisor/ Invigilator will sign the loose sheets and also assign page numbers).
7) Signature of the Supervisor/ Invigilator (on verification that all the details are correctly filled in by the candidates)
8) Marks obtained and
9) Signature of the Supervisor/ Invigilator

4. It shall also be notified to the candidates either in printed form or by affixing rubber stamp on the front part of the answer sheet that any attempt to disclose their names/identity and any indulgence of unfair means like copying from any source or talking with anybody inside or outside during the examination hour or any behavior of the candidates that may be considered to be cheating by the Invigilator/Supervisor/NACIN shall render their examination as null and void.

5. The examination of any candidate shall be cancelled if that candidate writes his/her name or uses any sign / symbol / signature etc. in the answer sheets which may hint the identification of the candidate in any way.

6. The Invigilators and the Supervisors shall maintain confidentiality, impartiality & discipline in conducting the examination and ensure that no unfair means are used, which could give any extra advantage to some and thus, be prejudicial to others. The whole exercise shall be designed and conducted so as to do justice to all. NACIN reserves the right to cancel the whole examination or that of an individual candidate or of a centre or a group of centers, if use of any unfair means is brought to its notice. It can also recommend disciplinary action against the Supervisors/Invigilators, if required.

7. The eligibility of the candidates shall be ascertained by the CCA and any clarification other than conduct of the examination shall not be entertained by NACIN. Any correspondence, on the process/conduct of examination may be made to Sh. K.M. Meena, Superintendent (Exam), NACIN, Sector-29, Faridabad-121008 at email id nacin.exam@icegate.gov.in.

8. Use and carrying of mobile phone and any such electronic gadget in or around the examination hall by the candidates is strictly prohibited during the conduct of examination.

9. Candidates are not allowed under any circumstances to go out of the hall in the first thirty minutes even on completion/submission of the paper. Only one person at a time should be allowed to go out of the examination hall under reasonable plea after the completion of first 30 minutes, of the examination.

10. The question papers shall be in English and in Hindi. The candidates have the option to write the answers either in Hindi or English (except paper on Hindi).

11. Answer sheets and the Attendance sheet, arranged serially according to allotted Roll No(s) need to be sent to NACIN in a sealed cover, immediately after the exam.

12. NACIN would convey the marks obtained by the candidates only to the CCAs. Result [in consonance with the relevant Recruitment Rules; the instructions in force, if any, (by the Ministry/Board from time to time etc.), grant of relaxations to the SC, ST & OBC candidates, as may be applicable], shall be declared by the CCA or any other office duly authorized by CCA under intimation to this office.

13. This issues with the approval of Principal Additional Director General (Exam).

27/10/2021

(Dr.Surabhi Pandey)
Joint Director (Exam)

1. The Chief Commissioner Of Customs –All
2. The Chief Commissioner Of Customs (Preventive) –All
3. The Chief Commissioner Of CGST and Central Excise-All
4. The Chief Commissioner Of Customs CGST and Central Excise-All
5. Director General/Additional Director General /Directors under CBEC-All
6. The Commissioner of Customs-All
7. The Commissioner of CGST and Central Excise-All including Audit
8. Narcotics Commissioner of India, Gwalior
9. Additional Director General, NACIN ZTIs/RTIs- All
10. The Chief Chemist CRCL, New Delhi
11. The Systems Section, NACIN, Faridabad – for getting uploaded on CBIC and NACIN websites